न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), प्रयागराज।

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र सं.–755 सन्–2026

UPAD010067832026

गोविन्द सरोज पुत्र हृदय लाल उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी– ग्राम महरछां, थाना सरायममरेज, जनपद प्रयागराज।

.....प्रार्थी

बनाम

1. सोमेश सिंह उर्फ गोलु पुत्र राजकुमार उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी गोठवा, थाना बरसठी, जिला जौनपुर।
2. पियुष सिंह उम्र लगभग 33 वर्ष
3. प्रशान्त सिंह उम्र लगभग 30 वर्ष

पुत्रगण– प्रकाश सिंह, निवासीगण महरछां, थाना सरायममरेज, जनपद प्रयागराज।

.....विपक्षीगण

धारा–173(4) बी.एन.एस.एस.

थाना–सरायममरेज, प्रयागराज।

1. प्रार्थी गोविन्द सरोज द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा विपक्षी सोमेश सिंह उर्फ गोलू सिंह ने वर्ष 2023 में उसके गांव में ठाकुर इण्टरप्राइजेज के नाम से पोल्ट्री फार्म खोल रखा था व उक्त पोल्ट्री फार्म का वह अपने आपको प्रोप्राइटर बताता था। विपक्षी उसके गांव के पीयूष सिंह के यहां किराये पर रहता था, गांव का होने के नाते उसकी दोस्ती पीयूष सिंह से थी, वह अक्सर पीयूष सिंह के घर आता–जाता था, पीयूष सिंह के घर पर उसकी मुलाकात सोमेश सिंह उर्फ गोलू सिंह से हुयी व धीरे–धीरे उसका सोमेश सिंह उर्फ गोलू सिंह से अच्छा सम्बन्ध हो गया। कुछ दिन बाद सोमेश सिंह व पीयूष सिंह की नियत उसके प्रति बदल गयी एवं दोनों लोगों को पता था कि उसके पिता कोल इण्डिया धनबाद, झारखण्ड में नौकरी करते थे व वर्ष 2021 में पेंशन पर आ गये थे, रिटायरमेंट के समय उसके पिता को जो रुपया फण्ड का प्राप्त हुआ था उसे प्रार्थी के चारों भाइयों में बांट दिये थे। विपक्षीगण सोमेश सिंह व पीयूष सिंह कहने लगे कि पोल्ट्री फार्म बढ़ाने के लिए पैसों की आवश्यकता है मु.–5,00,000/– (पाँच लाख) रुपये दे दीजिए शीघ्र ही वापस कर दूंगा, विपक्षी पीयूष सिंह ने कहा कि पैसे की जिम्मेदारी मेरी है पैसा जल्दी ही वापस हो जाएगा। उसने दोनों लोगों की बात पर विश्वास करके दिनांक 24.03.2023 को यू.पी.आई. ट्रांजैक्शन सं.–308388186897 व यू.पी.आई. ट्रांजैक्शन सं.– 308388195069 के माध्यम से मु.–50,000–50,000/–(पचास–पचास हजार रुपये) एवं दिनांक 25.03.2023 को यू.पी.आई. ट्रांजैक्शन सं.–308427512479 के माध्यम से मु.– 50,000/–(पचास हजार रुपये) तथा दिनांक 24.04.2023 को यू.पी.आई. ट्रांजैक्शन सं.–311468595571 के माध्यम से मु.–45,000/–(पैंतालीस हजार) रुपये व यू.पी.आई. ट्रांजैक्शन सं.–348077098786 के माध्यम से मु.–5,000/– (पाँच हजार) रुपये सोमेश सिंह के खाते ठाकुर इण्टरप्राइजेज में कर दिया। इस प्रकार उसने विपक्षीगण सोमेश सिंह व पियूष सिंह के कहने पर मु.– 2,00,000/– (दो लाख) रुपये ठाकुर इण्टर प्राइजेज के नाम से सोमेश सिंह के खाते में दे दिया तथा कई किस्तों में सोमेश सिंह को डेढ़ लाख रुपया नकद दे दिया, इस प्रकार उसने सोमेश सिंह को कुल मु.–3,50,000/–(तीन लाख पचास हजार रुपये) दे दिया। काफी दिन बीत जाने के बाद उसने अपना पैसा विपक्षी सोमेश सिंह से मांगा तो दोनों लोग सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिये और उससे बोलना–चालना बन्द कर दिये, उसने पैसे की बात गांव में कई लोगों से बतायी तो विपक्षीगण उससे नाराज हो गये। प्रार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है और अक्सर अपने गांव में स्थित ठाकुर शिव प्रताप सिंह इण्टर कालेज में अध्यापक आदि से मिलने आता है इस बात की जानकारी विपक्षीगण को थी। दिनांक 16.05.2026 को समय 01.00 बजे दिन वह अपने गांव के कई लोगों के साथ शिवप्रताप सिंह इण्टर कालेज के सामने स्थित सड़क पर खड़ा था उसी समय विपक्षीगण सोमेश सिंह उर्फ गोलू, पियूष सिंह व पियूष का भाई प्रशान्त सिंह वहां पर आ गये और कहने लगे कि साले मादरचोद बहुत पैसा वाले बने हो आज बताता हूं, आने–जाने वाले लोगों व स्कूल के कर्मचारियों ने आकर बीच–बचाव किया परन्तु विपक्षीगण नहीं माने और कहे कि साले पासी देख

आज कैसे तुम्हें सबके सामने बेइज्ज़त करता हूं यह कहते हुए उसे लात–घूसों से मारना–पीटना शुरू कर दिया जिससे वह जमीन पर गिर गया तब विपक्षीगण ने उसे लातों से मारा और कहा कि यदि पैसे की बात करोगे तो ऐसा ही तुम्हारा हाल होगा यदि पैसे की बात की व कहीं शिकायत की तो जान से मार डालेंगे। प्रार्थी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सरायममरेज में प्रार्थनापत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। प्रार्थी ने दिनांक 08.06.2026 को जरिये डाक पुलिस आयुक्त को प्रार्थनापत्र प्रेषित किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उपरोक्त कथनों को संकथित करते हुए वर्तमान प्रकरण के सम्बन्ध में थाना सरायममरेज, जनपद प्रयागराज में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र, स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति, स्वयं के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, बैंक स्टेटमेन्ट, थानाध्यक्ष सरायममरेज को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 16.05.2026 की छायाप्रति, श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, प्रयागराज को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 08.06.2026 की छायाप्रति मय डाक रसीद की छायाप्रति को संस्थित किया गया है।

4. प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी तथा थाने की आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. मैंने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्त को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में स्वयं को अनुसूचित जाति का सदस्य होना बताते हुए विपक्षी सोमेश सिंह को मु.– 3,50,000/–(तीन लाख पचास हजार) रुपये दिये जाने तथा उक्त रुपयों की उसके द्वारा मांग किये जाने पर दिनांक 16.05.2026 को समय 01.00 बजे दिन विपक्षीगण द्वारा उसे जातिसूचक शब्दों साले पासी से अपमानित करते हुए मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां दिये जाने, उसे लात–घूसों से मारने–पीटने तथा कहीं शिकायत करने व पैसे की बात करने पर जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप अभिकथित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि प्रार्थी को घटना का दिनांक, समय, स्थान, साक्षीगण के नाम, घटना हेतुक तथा सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है जिसके सम्बन्ध में वह स्वयं साक्ष्य देने में समर्थ है, अतः अन्वेषण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *जोसेफ माधुरी एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी 2001 सप्लीमेंटरी एसीसी 957 व मुहम्मद यूनुस बनाम श्रीमती आफाक जहॉ व अन्य 2006 (1) एसीआरआर पेज 112 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य 2001 (43) ए0सी0सी0 50 (इलाहाबाद) व सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) ए0सी0सी0 739 (इलाहाबाद)* में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. को मजिस्ट्रेट परिवाद के रूप में पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत होगा।

<u>आदेश</u>

(i) एतद्द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है।

(ii) पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 13.11.2026 को पेश हो। धारा 223 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत हो, प्रार्थी अपेक्षित पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

(कुमार मयंक)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज
(जे.ओ.कोड यू. पी. 6278)

दिनांक– अगस्त 13, 2026

Digitally signed by KUMAR MAYANK
Date: 2026.08.13 16:15:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court